मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 26 जून, 2018 (आषाढ़ 5, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम पुकाd रा किन्तु व्यवधान के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा और किसी प्रश्न पर चर्चा नहीं हो सकी. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 77 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 104 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं कुछ सदस्यों ने सदन में उल्लेख किया कि आज 26 जून, 1975 को लगाए गए आपातकाल की आज वर्षगाँठ है. लोकतंत्र का काला दिन है. मैं उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ जिन्होंने उस दौरान जेल में दम तोड़ दिया था.

सर्वश्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने आपत्ति व्यक्त की कि जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह गलत परम्परा स्थापित की जा रही है कि प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते हैं, यह समय की बर्बादी है.

अध्यक्ष महोदय ने इस दौरान कुछ असंसदीय कथन को विलोपित करने के निर्देश दिए तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि पहले प्रश्नकाल चलने दें. उसके बाद जिसको जो कहना है, वे वह कह सकेंगे.

3. गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान से कार्यवाही स्थगित की जाना

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण ने संसदीय कार्य मंत्री के कथन पर आपत्ति करते हुए, गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की. व्यवधान के कारण पहले पूर्वाह्न 11.08 बजे कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.19 बजे पुन: समवेत् हुई और पुन: 11.26 बजे कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगित की जाकर मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य की होशंगाबाद जिले के अंतर्गत सतपुड़ा टाईगर रिजर्व स्थित ग्रामवासियों के विस्थापन संबंधी समस्या होने,

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की जिला श्योपुर की तहसील कराहल अतंर्गत ग्रामों में विद्युतीकरण योजनान्तर्गत घटिया कार्य किये जाने,

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की कालापीपल विधान सभा क्षेत्र के किसानों को खरीफ की फसल के नुकसान की राहत राशि न मिलने,

(4) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहांगी में गुणवत्ताहीन भवन निर्माण की जांच करने,

(5) श्री महेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की कोलारस विधानसभा क्षेत्र में सूखा राहत राशि अभी तक वितरित न किये जाने,

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर क्षेत्रातंर्गत ग्राम ढोढर के समीप पारम नदी पर बना रपटा क्षतिग्रस्त होने,

(7) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की इछावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चितोडियावन से पचपीपलिया रोड पर पुलिया निर्माण न होने,

(8) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिला मुख्यालय में चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने,

(9) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की नगरीय विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के किरायेदारों पर कर में वृद्धि करने तथा

(10) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य की गोविन्दुपरा विधान सभा क्षेत्र, बी.एच.ई.एल. भोपाल के वार्ड 64 में स्थित कॉलोनियों से शराब दुकान हटाये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) की धारा 75 (क) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

(क) एफ बी-7(बी)-04-05-2018-पांच-(27), दिनांक 11 अप्रैल, 2018 एवं

(ख) एफ बी-7(बी)-04-05-2018-पांच-(28), दिनांक 11 अप्रैल, 2018,

पटल पर रखीं.

(2) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट, वर्ष 2015-16 पटल पर रखी.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(4) श्री पारसचन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17,

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17,

(ग) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 6 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17,

(घ) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 11 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, तथा

(ङ) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 513/म.प्र.वि.नि.आ./2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018,

पटल पर रखे.

6. शून्यकाल में उल्लेख

एक महिला विधायक के परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाना

श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, सदस्य ने सदन का ध्यानाकर्षित किया कि पुलिस प्रशासन उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहा है. श्री अभय मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पुलिस बल द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास हुआ है. खनिज का मामला उठाने का बदला लेने के लिए खनिज साधन मंत्री परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं. रोज पुलिस घर में भेजी जा रही है. वहां के पुलिस अधीक्षक दबाव में काम कर रहे हैं और असत्य प्रकरणों में फंसाया जा रहा है. आसंदी के माध्यम से गृह मंत्री महोदय से आश्वासन चाहती हूं कि वहां के पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करें. श्रीमती इमरती देवी, सदस्य ने भी महिला विधायक की समस्या हल करने हेतु अनुरोध किया. श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि एक महिला विधायक अपनी पीड़ा बता रही हैं कि खनिज मंत्री से उनका परिवार प्रताड़ित हो रहा है, आप उन्हें बोलने का समय दें. अध्यक्ष महोदय ने सदन को आश्वस्त किया कि पत्रों के पटल पर रखे जाने के बाद माननीय सदस्या को उनकी बात रखने के लिए समय देंगे. माननीय सदस्या द्वारा लगातार अपने कथन की पुनरावृत्ति की गई. पूरे दिन निरन्तर व्यवधान के मध्य दैनिक कार्यसूची में अंकित विषयों पर कार्यवाही जारी रही.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना (क्रमशः)

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने –

(क) जिला खनिज प्रतिष्ठान, सिंगरौली का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-2017,

(ख) इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन, ग्वालियर (म.प्र.) का दिनांक 31 मार्च, 2014 तथा दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमश: 29 वां एवं 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा,

(ग) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मर्यादित उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, तथा

(घ) विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17,

पटल पर रखे.

(6) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2015 अधिसूचना क्र.128 एफ-4-129-2014/18-1, दिनांक 12 मार्च, 2015,

(ii) मध्यप्रदेश राज्य नगरीय वित्त सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2017 अधिसूचना क्र.45-एफ-4-215-2016/18-1, दिनांक 11 मई, 2017,

(iii) नगरपालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 अधिसूचना क्र.71 ए-10-01-18-2, दिनांक 26 मई, 2017,

(iv) मध्यप्रदेश नगरपालिका परिषद संविदा विशेषज्ञों एवं दैनिक सहायकों की सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 अधिसूचना क्र.69/एफ-4-37/2017/18-1, दिनांक 31 मई, 2017, तथा

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्न अधिसूचनाएं :-

(i) मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 अधिसूचना क्र. 4-एफ-1-1-2016/18-3, दिनांक 24 फरवरी, 2016, तथा

(ii) मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017 अधिसूचना क्र.8 एफ-1-25-2016/18-13, दिनांक 28 मार्च, 2017.

पटल पर रखीं.

(7) श्री जयभान सिंह पवैया, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न विभागों की निम्नांकित अधिसूचनाएं –

(क) क्र. एफ 2-01-2018-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 16, दिनांक 01 फरवरी, 2018,

(ख) क्र.एफ 2-03-2018- इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 5, दिनांक 01 फरवरी,2018,

(ग) क्र.एफ 2-04-2018-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 31, दिनांक 01 फरवरी, 2018,

(घ) क्र.एफ 2-2-2018-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 45, दिनांक 13 फरवरी, 2018,

(ङ) क्र.एफ 2-06-2018-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 12, दिनांक 21 मार्च, 2018,

(च) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी- 46, दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा

(छ) क्र. एफ 2-07-2018-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-15, दिनांक 21 मार्च, 2018

पटल पर रखीं.

(8) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 60 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सहित पटल पर रखा.

(9) श्री संजय पाठक, राज्यमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 53 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(10) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रतिवेदन-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक, वर्ष 2016-17,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2016-2017,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित,भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक,वर्ष 2016-17,तथा

(घ) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक, वर्ष 2014-15

पटल पर रखे.

8. शून्यकाल में उल्लेख (क्रमश:)

श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, सदस्या द्वारा आसंदी से पुन: निवेदन किया गया कि उनके क्षेत्र का पूरा विकास रूका हुआ है और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. इसलिए उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की जाए. डॉ. मोहन यादव, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि प्रदेश एवं क्षेत्र के हित की बोलने के लिए सबको मौका मिले लेकिन व्यक्तिगत बात के लिए विधानसभा का उपयोग करना दुर्भाग्य की बात होगी. अध्यक्ष महोदय ने गृह मंत्री को माननीय सदस्या की सुरक्षा के संबंध में मत व्यक्त करने हेतु निर्देशित किया गया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्या ने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर यहां जो विषय रखा है मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि उनकी सुरक्षा की हम पर्याप्त व्यवस्था करेंगे और किसी भी प्रकार से उनको कठिनाई न हो, हम लोग ध्यान रखेंगे और पुलिस अधीक्षक रीवा को आज ही निर्देशित किया जाएगा. माननीय विधायिका के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न हो. माननीय विधायिका द्वारा लगातार कथनों की पुनरावृत्ति एवं व्यवधान के मध्य कार्यवाही जारी रही.

9. गर्भगृह में प्रवेश

बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्यगण दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार संबंधी पोस्टर का प्रदर्शन करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की.

10. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा राव उदय प्रताप सिंह, लोकसभा सांसद की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

11. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में गेंहू एवं सरसों खरीदी में केन्द्र प्रभारियों द्वारा अनियमितता एवं कृषकों की खरीदी गई उपज का भुगतान न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री की अनुपस्थिति में श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

पुन: व्यवधान होने के कारण, अपराह्न 12.23 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 12.39 बजे पुन: समवेत् हुई.

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.

12. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री रामकिशन पटेल, सदस्य ने रायसेन जिले के ग्राम पिपलिया केवट के कृषकों की भूमि भूमिहीनों को आवंटित किये जाने पर मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

13. अविश्वास प्रस्ताव संबंधी औचित्य प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव दिया है. कल भी इस पर चर्चा हुई थी. चतुर्दश विधानसभा का यह महत्वपूर्ण अंतिम सत्र है और सदन के नेता सदन में नहीं है, क्या सदन के नेता को सदन में विश्वास नहीं है ? आप सदन को चलाना नहीं चाहते हैं. आप अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते एवं उस पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था प्रश्न उठाया कि कांग्रेस के माननीय सदस्य जो विषय बता रहे हैं इस पर कल आसंदी से व्यवस्था आ चुकी है कि इसको लेना आवश्यक नहीं है. उसके बाद भी अगर इनको कोई विषय आज आवश्यक लगता है तो आज बजट पर और 17 विधेयकों पर चर्चा होना है, उसमें अपनी बात कह सकते हैं . मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 160 में यह उल्लेख है कि - "इस बात के होते हुये भी कोई दिन नियम 152, 153 और 158 के अधीन अन्य कोई नियत किया जा चुका हो....." उसमें वह अपनी बात को उस दिन रख सकेगा, इसको आप देख लें.

सभापति महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और श्री रामनिवास रावत ने भी अपनी बात कही है. परंतु कल सदन में यह बात आ चुकी है. अध्यक्ष महोदय ने कल भी यह बात सदन के सामने कही थी कि यह प्रस्ताव विचाराधीन है और विचारोपरांत उस पर निर्णय करेंगे, अत: इस सवाल को फिलहाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है. अब जो कार्यसूची है उस पर कार्यवाही चलेगी.

14. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का चौसठवां, पैंसठवां, सड़सठवां, अड़सठवां, उनहत्तरवां एवं सत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्री जयसिंह मरावी, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(3) श्री गिरीश गौतम, सभापति ने प्राक्कलन समिति का षष्टम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ चौवनवां से एक सौ बहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(5) श्री मोती कश्यप, सभापति ने विशेषाधिकार समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(6) श्री हेमन्त खण्डेलवाल, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन तथा अठारहवां एवं उन्नीसवां प्रतिवेदन (त्रयोदश विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर पंचम् एवं षष्टम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चौतीसवां से बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(8) सुश्री उषा ठाकुर, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सप्तम्, अष्टम्, नवम्, दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(2) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(3) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(4) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(5) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(6) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(7) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(8) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)

16. संकल्प

'डुमना विमानतल' के नाम को परिवर्तित कर 'वीरांगना रानी दुर्गावती विमानतल' किया जाना

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री विमानन ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश की संस्कारधानी, जबलपुर में विद्यमान 'डुमना विमानतल' के नाम को परिवर्तित कर 'वीरांगना रानी दुर्गावती विमानतल' किया जाये तथा वर्तमान आवश्यकता की दृष्टि से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जावें."

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संकल्प पर सदन का मत लिया गया.

ध्वनिमत से संकल्प स्वीकृत हुआ.

17. वर्ष 2018-2019 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 64, तथा 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर ग्यारह हजार एक सौ इकसठ करोड़, तिरेपन लाख, पचहत्तर हजार, छह सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

18. अनुपूरक अनुमान पर औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आज माननीय वित्तमंत्री महोदय अनुपूरक अनुमान का प्रस्ताव रख रहे हैं इनको यह रखने का अधिकार नहीं है. अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 में लिखा है कि अनुपूरक अनुमान तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक दो दिन के पूर्व में सभी माननीय सदस्यों को कार्यालय में सूचना नहीं दी गई हो.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि यह दो दिन पहले दे दिये थे और नियमों को शिथिल किया जा सकता है. कृपया आप उसको भी पढ़ लें. दो दिन पहले 23 तारीख की शाम को सभी विधेयक बंट गये हैं.

19. वर्ष 2018-2019 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

अनुपूरक अनुमान की मांगों पर सदन का मत लिया गया.

ध्वनिमत से अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

20. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

21. गर्भगृह में प्रवेश

माननीय सदस्यों के नाम चर्चा हेतु न पुकारे जाने का कथन करते हुए श्री रामनिवास रावत, सदस्य के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि – "मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद नाम मांगे थे. चर्चा हेतु कोई नाम नहीं था. जब नाम नहीं आये तब मैं आगे बढ़ा. अभी फिर शेष शासकीय विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने हेतु नाम मांगे गये, किन्तु नाम नहीं दिए हैं". नाम मांग रहा हूं. कृपया आप अपने आसनों पर बैठ जाईये.

(निरन्तर व्यवधान के मध्य कार्यसूची में अंकित शासकीय विधेयकों पर बिना चर्चा कार्यवाही जारी रही)

22. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 52 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

23. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

(1) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री जितू पटवारी, सदस्यगण ने जब आपके नियम के तहत कार्यवाही नहीं हो रही है कहते हुए गर्भगृह में आए और अध्यक्ष के स्थाई आदेश की प्रतियां फेंकते हुए अपने-अपने आसन पर वापस गये.

(2) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, सदस्या उनके पति श्री अभय मिश्रा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के विरोध में सत्ता पक्ष की तरफ गर्भगृह में आकर बैठ गईं तथा उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए. माननीय सदस्या द्वारा कुछ समय पश्चात् सदन को सूचित किया कि गृह मंत्री जी ने अभी मुझे अवगत कराया कि मेरे पति अभय मिश्रा को छोड़ने के लिए फोन पर निर्देशित कर दिया गया है. अतः मैं अपने आसन पर वापस जा रही हूं.

24. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 21 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

व्यवधान के कारण अपराह्न 1.18 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 1.32 बजे पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

25. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सदन की कार्यवाही भोजनावकाश में भी जारी रहेगी.

26. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(व्यवधान के बीच कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर बिना चर्चा कार्यवाही निरंतर जारी रही)

(6) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3, 4 तथा 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(10) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 53 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(11) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(12) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोपाल भार्गव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(13) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोपाल भार्गव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(श्री राजेश सोनकर, सदस्य द्वारा सदन में पोस्टर दिखाने पर, आसंदी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई.)

(14) श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 11 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्रीमती अर्चना चिटनिस ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(15) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 19 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्रीमती माया सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 19 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(16) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 20 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्रीमती माया सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 20 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

27. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

सर्वश्री सुखेन्द्र सिंह एवं सुन्दरलाल तिवारी, सदस्यगण अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए एवं कुछ देर बाद वापस अपने आसन पर गए.

28. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(17) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2018 (क्रमांक 21 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 12 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री लालसिंह आर्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2018 (क्रमांक 21 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(18) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 22 सन् 2018) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 122 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 22 सन् 2018) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

29. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि – "विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत, यह प्रस्ताव किया कि "सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

30. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

31. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अपराह्न 1.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 26 जून, 2018